

Fin 32

Who is eligible to receive foreign contribution?

विदेशी डोनेशन लेने के लिये कोन पात्र है ?

कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक निश्चित सांस्कृतिक, शिक्षाविषयक, धार्मिक या सामाजिक हेतू है और जिने केंद्र शासन से डोनेशन लेने की अनुमति लियी है और पंजीकरण किया है वह विदेश से डोनेशन ले सकता है ।

FCRA कानून के अंतर्गत पंजीकरण करना ये इस प्रक्रीया/कार्यवाही का एक हिस्सा है ।

पंजीकरण दो तरह का होता है ।

1. किसी निश्चित स्रोत से निश्चित राशि एक बार लेने के लिये पंजीकरण ।
2. किसी भी स्रोत से कितनी भी राशि, बारबार लेने के लिए पंजीकरण ।

कुछ व्यवहारों के लिये FCRA लागू नहीं होता ।

1. व्यापार हेतू किया हुआ आर्थिक व्यवहार
2. विदेशी नागरिकों को कॉन्फरन्स में सहभागी होने हेतू लिया गया मानधन/खर्च
3. व्यक्तीगत तोहफे जिनकी किमत रु. 25,000/- से ज्यादा नहीं है ।

निम्नलिखित कार्यों के लिये विदेशी राशि नहीं ले सकते

1. इलेक्शन/चुनाव लडने के लिये
2. मिडीया के कार्टुनिस्ट, पब्लिशर्स, प्रिंटर, एडिटर, वार्ताहर आदी
3. न्याशधिश और सरकारी अधिकारी/अफसर
4. पार्लमेंट के सदस्य
5. वार्ता प्रसारीत करनेवाली कंपनी या उनके सदस्य
6. पंचायत और राजकिय कार्यकर्ता